भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

SAR. Case No. 01/2020-21

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
22.06.2020	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत एस॰ए॰आर॰ वाद संख्या–01/2020–21 अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–11.06.2020 को जाँच के क्रम में मौजा–दलकी, थाना नं0–222, थाना–गोईलकेरा, हल्का नं0–04, खाता नं0–149, खेसरा नं0–1385, रकवा–1.72 ए0 भूमि पर प्रतिपक्ष मोहम्मद फिरोज, पिता–मो0 जाफर, जाति–मोमिन (मुस्लिम), निवासी–बंगलाटांड, थाना–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा के विरूद्ध प्रारंभ की गई है। कागजातों के जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि प्रथम पक्ष श्री दुलमु चाकी, पिता–स्व0 साहू चाकी, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–दलकी, थाना–गोईलकेरा, जिला–पश्चिमी सिंहभूम का रैयती भूमि है। प्रतिपक्ष द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से पाया गया कि वे दिनांक–14.10.2019 को उक्त रैयती भूमि 15,000/–रूपए वार्षिक किराए पर 4 वर्ष 11 महिनों की अवधि के लिए लीज/रेन्ट लिया गया है जो अवैध है। आदिवासी भूमि को लीज/रेन्ट पर व्यावसायिक उपयोग हेतु CNT Act की धारा 49 के तहत उपायुक्त से अनुमति लेना आवश्यक है, परन्तु प्रतिपक्ष द्वारा उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से अनुमति नहीं ली गई है। संबंधित कागजातों के अवलोकन से प्रथम द्रष्टव्या ही प्रतिपक्ष द्वारा उक्त भूमि लीज/रेन्ट पर लेना अवैध प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्ष मोहम्मद फिरोज, पिता–मो0 जाफर, जाति–मोमिन (मुस्लिम), निवासी–बांगलाटांड, थाना–चक्रधरपुर, जिला–पश्चिमी सिंहभूम को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम कि धारा 71(A) एवं CNT Act की धारा 49 के प्रावधानानुसार आदेश दिया जाता है कि आपके द्वारा उक्त भूमि पर रखा गया बालू एवं अन्य सामग्री चार दिनों के अंदर हटाते हुए प्रथम पक्ष श्री दुलमु चाकी, पिता–स्व0 साहू चाकी, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–दलकी, थाना–गोईलकेरा, जिला–पश्चिमी सिंहभूम को वापस करना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपके द्वारा चार दिनों के अंदर उक्त प्लॉट खाली कर रैयत को वापस नहीं करने की स्थिति में प्रशासन द्वारा उक्त भूमि को खाली करा दी जाएगी, खाली कराने में जो लागत (Cost) आपसे वसूल की जाएगी। अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी गोईलकेरा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि पर रखे बालू एवं अन्य सामग्री को निर्धारित समय के अंदर खाली कराते हुए श्री दुलमु चाकी, पिता–स्व0 साहू चाकी, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–दलकी, थाना–गोईलकेरा, जिला–पश्चिमी सिंहभूम को दखल–दिहानी दिलाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति उभय पक्ष एवं अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी गोईलकेरा को उपलब्ध करा दें। 22.6.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	